भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4254

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत का कुल प्रजनन दर

†4254. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता दर, जनसंख्या के स्थिर आकार को बनाए रखने के लिए प्रति महिला औसतन बच्चों की आवश्यकता को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के पांच राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) पहले ही 1.40 से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे पांच राज्य कौन-से हैं, जहां उच्च टीएफआर है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कुल प्रजनन दर अथवा महिला जन्म दर 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता दर से कम होकर वर्ष 2050 में 1.29 हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता दर को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): देश में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ङ): भारत ने एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्राप्त कर ली है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (2.1 की टीएफआर) के अनुरूप है। सरकार गर्भधारण के सही समय-निर्धारण और अंतराल के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, परिवार

नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके और प्रजनन क्षमता को प्रबंधित करने के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों द्वारा प्रस्तावित बजट को अनुमोदन देकर सभी क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं नीचे दी गई हैं-

(क) विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प, जिसमें कंडोम, कम्बाइंड ओरल गर्भनिरोधक गोलियाँ, आकस्मिक स्थिति में गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी शामिल हैं, लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक समूह को नए गर्भनिरोधकों, नामतः इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमैन (छाया) के साथ विस्तारित किया गया है।

(ख) मिशन परिवार विकास को गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए 07 उच्च ध्यान केंद्रित राज्यों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है।

(ग) नसबंदी कराने वालों के लिए मुआवजा योजना, लाभार्थियों को उनके वेतन के नुकसान को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

(घ) प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।

(ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया जाता है।

(च) आशाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों के घर तक गर्भनिरोधक वितरित किए जाते हैं।

(छ) स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस) लागू है।

*****

दिनांक **20.12.2024** को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4254** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल प्रजनन दर (टीएफआर)

(स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 5, 2019-21)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीएफआर
भारत		**2.0**
प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन क्षमता वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.3
2.	आंध्र प्रदेश	1.7
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.8
4.	असम	1.9
5.	चंडीगढ़	1.4
6.	छत्तीसगढ़	1.8
7.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.8
8.	दिल्ली	1.6
9.	गोवा	1.3
10.	गुजरात	1.9
11.	हरियाणा	1.9
12.	हिमाचल प्रदेश	1.7
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1.4
14.	कर्नाटक	1.7
15.	केरल	1.8
16.	लद्दाख	1.3
17.	लक्षद्वीप	1.4
18.	मध्य प्रदेश	2.0
19.	महाराष्ट्र	1.7
20.	मिजोरम	1.9
21.	नागालैंड	1.7
22.	ओडिशा	1.8
23.	पुदुचेरी	1.5
24.	पंजाब	1.6
25.	राजस्थान	2.0
26.	सिक्किम	1.1
27.	तमिलनाडु	1.8
28.	तेलंगाना	1.8
29.	त्रिपुरा	1.7
30.	उत्तराखंड	1.9
31.	पश्चिम बंगाल	1.6
प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर प्रजनन क्षमता वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीएफआर
1	बिहार	3.0
2	झारखंड	2.3
3	मणिपुर	2.2
4	मेघालय	2.9
5	उत्तर प्रदेश	2.4

******